# न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 06 / 2021 (2021 / 2)

अपीलार्थी

पोलाराम पुत्र आदुराम, जाति जाट, निवासी – ग्राम चामू, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर।
2. हल्का पटवारी ग्राम बारनाऊ तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 22.01.2021 प्रकरण संख्या 06 / 21 न्यायालय तहसीलदार सेखाला द्वारा बअनवान सरकार जरिये पटवारी बारनाऊ बनाम पोलाराम में पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अभिभाषक श्री किसनाराम विश्नोई (अपीलार्थी)।

–: आदेश :– दिनांक :– 25.02.2021

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आदेश दिनांक 22.01.2021 प्रकरण संख्या 06 / 21 न्यायालय तहसीलदार सेखाला द्वारा बअनवान सरकार जरिये पटवारी बारनाऊ बनाम पोलाराम में पारित किया गया के विरूद्ध पेष की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पण्डितों का बास तहसील सेखाला जिला जोधपुर के खसरा नं0 261 के सम्बन्ध में हल्का पटवारी द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 के तहत दिनांक 04.01.2021 को तहसीलदार सेखाला के समक्ष पेश कर बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा टीन शेड व खेली बनाकर गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया। तहसीलदार सेखाला द्वारा प्रकरण 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये तथा आगामी तारीख पेश दिनांक 21.01.2021 मुकर्रर की गई। तारीख पेश दिनांक 21.01.2021 को हुरमा देवी पत्नी पोलाराम न्यायालय में उपस्थिति हुई और निवेदन किया कि पोलाराम मेरा पति है तथा अभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:57 IST
Reason: SelfAttested

जेल में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हुरमा देवी के हस्ताक्षर करवा लिये गये व आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.01.2021 मुकर्रर की गई। तारीख पेश दिनांक 22.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, इससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार सेखाला से तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलार्थी अभिभाषक की बहस दिनांक 22.02.2021 को सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थी अभिभाषक ने अपील में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार अपीलान्ट को नोटिस देकर तथा सुनकर आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में परिरूद्ध है। आदेश 05 नियम 24 सी0पी0सी0 के तहत कारागार में प्रतिवादी पर तामिल करवाने की प्रक्रिया का उल्लेख है – जहां प्रतिवादी कारागार में परिरूद्ध है वहां समन कारागार के भारसाधक अधिकारी को प्रतिवादी पर तामील के लिए परिदत्त किया जायेगा या (डाक द्वारा या ऐसी कूरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो, फैक्स संदेश द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा जिसका उपबंध उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाए) भेजा जायेगा लेकिन मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधिवत् नोटिस तामिल नहीं करवाया गया। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि सम्पूर्ण ग्राम चामू खसरा नं0 261 व 269 किस्म गै0 मु0 ओरण/गोचर में बसा हुआ है। पूर्व में जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा अस्पताल, विद्यालय, पेट्रोल पम्प, मंदिर होने के कारण ग्राम पंचायत को हस्तान्तरण की गई थी किन्तु बाद में निरस्त कर दी गई इस संबंध में वाद माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है। अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने मात्र पशुओं के पानी पीने हेतु एक पानी की खेली व छाया हेतु छपरे का निर्माण करवाया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:57 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। यह तथ्य निर्वावादित है कि अपीलार्थी [illegible] खसरा नं0 261 रकबा 0.10 बिस्वा

किस्म गैर मुमकिन ओरण भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उक्त भूमि राजस्थान काष्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है। अपीलार्थी अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की पत्नी हूरमादेवी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई तथा अपना जवाब पेश किया।

## आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

**(मदनलाल नेहरा)**
**अपर जिला कलक्टर (प्रथम)**
**जोधपुर।**

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

**(मदनलाल नेहरा)**
**अपर जिला कलक्टर (प्रथम)**
**जोधपुर।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:57 IST
Reason: SelfAttested